राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो/परिपत्र/2019/4607 दिनांक:27.07.2022

परिपत्र-8

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी के श्रेणी/जाति को भी एक बार ही परिवर्तित करने का प्रावधान किया हुआ है। परन्तु कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि इन सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई-मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में परेशानियाँ आ रही हैं। अतः इस परेशानी को दूर करने के लिए इस नियम में संशोधन अपेक्षित है। परन्तु जब तक नियमों में यह संशोधन प्रक्रियाधीन है, ऐसे प्रकरणों के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. किसी भी निवासी के नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी/जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन के लिये जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपीलांट अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
2. जिस आवेदक को अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी/जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन की आवश्यकता हो उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट-1 में संलग्न दस्तावेजों की सूची अनुसार वांछित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
3. आवेदक को उपरोक्त संशोधन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
4. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी दस्तावेजों की गहन जाँच के पश्चात यह निर्णय लेंगे कि आवेदक द्वारा संशोधन हेतु की गई अपील स्वीकार्य है अथवा नहीं।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा स्वयं के स्वहपद Login SSO ID and Password से जन आधार पोर्टल पर जाँच किये हुये अद्यतन फॉर्म तथा वांछित दस्तावेज दोनों अपलोड किये जायेंगे।
6. जन आधार पोर्टल में फॉर्म तथा दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित चेकबॉक्स 'टिक' करना होगा-

   ''यह संशोधन मेरे द्वारा वांछित दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त स्वीकार/अस्वीकार किया जाता है।''

7. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा उपरोक्त चेकबॉक्स को 'टिक' करते ही उनके मोबाईल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के पश्चात वांछित संशोधन स्वीकार/अस्वीकार होकर Save हो जाएगा।
8. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी/जाति में अद्यतन की उपरोक्त प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी।

उपरोक्त अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी तथा अपील के माध्यम से करवाये जाने वाले संशोधनों की कोई सीमा नहीं होगी। आमजन की सुविधा के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(उषा शर्मा)

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष

क्रमांकः एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो/परिपत्र/2019/4608-23 दिनांकः27.07.2022

प्रतिलिपिः-निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महोदय राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान।
6. आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
10. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
11. एस.ए./ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
12. समस्त आयुक्त नगर निगम, राजस्थान।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अन्य नगरीय निकाय।
14. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी समस्त, राजस्थान।
15. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त, पंचायत समिति, राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, आयोजना विभाग

एवं पदेन महानिदेशक

परिशिष्ट -1

नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी/जाति के सत्यापन के लिए प्रस्तावित स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	सहायक दस्तावेज़
1.	जन्म तिथि/आयु	• जन्म प्रमाण पत्र, • 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, • आधार कार्ड, • पासपोर्ट, • मतदाता पहचान कार्ड, • पैन कार्ड
2.	नाम सत्यापन हेतु पहचान के दस्तावेज़	• फोटो पहचान कार्ड, • आधार कार्ड, • पैन कार्ड, • पासपोर्ट, • मतदाता पहचान कार्ड, • बैंक/डाकघर की पासबुक
3.	लिंग	स्वघोषणा
4.	परिवार की श्रेणी/जाति	स्वयं का जाति प्रमाण पत्र या परिवार में माता-पिता या भाई-बहिन में से किसी भी एक का